**प्रेस विज्ञप्ति**

**10/05/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 09.05.2025 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **188.41 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित कुटे ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की विभिन्न संस्थाओं की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।

ईडी ने मई से जुलाई 2024 के महीनों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं और एमपीआईडी अधिनियम, 1997 की धारा के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य लोगों के पास था। इसने कई तरह की जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। ध.शो.नि.अ (पिएमएलए) जांच के दौरान पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने 4 लाख से ज़्यादा भोले-भाले निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए लुभाया। हालांकि, जमा की अवधि पूरी होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें धोखा दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि डीएमसीएसएल के फंड को सोसायटी के प्रबंधन द्वारा गबन किया गया था, जिसमें सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने द कुटे ग्रुप (सुरेश कुटे और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों का समूह) की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में लगभग 2,467 करोड़ रुपये की राशि को अवैध रूप से और धोखाधड़ी पूर्वक डायवर्ट करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। इन धोखाधड़ी वाले ऋण राशियों के वितरण पर, उनके द्वारा द कुटे समूह की संस्थाओं के कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में धन निकाला गया। सोसायटी से प्राप्त धन का उपयोग अपने निजी लाभों जैसे नए व्यवसायों में निवेश, संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 09.08.2024, 20.09.2024 और 14.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के दौरान, 11 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्तियां जब्त/फ्रीज की गईं। ईडी ने 24.09.2024 को 85.88 करोड़ रुपये, 09.10.2024 को 1,002.79 करोड़ रुपये और 05.11.2024 को 333.82 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य **1621.89 करोड़ रुपये (लगभग)** है। ईडी ने पहले 07.01.2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया था जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने 06.03.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिस पर 11.03.2025 को संज्ञान लिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।